अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2017 अनवानी सुरेन्द्र खीचड पुत्र प्रहलाद जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न.15, रावला मण्डी तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

14–06–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र खीचड उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र खीचड़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 139/2016 सुरेन्द्र खीचड़ बनाम उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2016 के सन्दर्भ में पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि उसके द्वारा निम्न 3 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो उपलब्ध नही करवाई है। उक्त सूचना के अभाव में वह उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष लंबित प्रकरण में अपना पक्ष सही रूप से नही रख पायेंगे। इसलिए तीनो सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे:–

1. एसडीएम अनूपगढ के आदेश कमांक–एस.डी.ओ./राजस्व/2001/1352 दिनांक 11.06.2001 की प्रमाणित प्रति।
2. एसडीएम महोदय अपनूगढ के निर्यण मु0न0 34/99 अनवान तिलोकाराम बनाम सरकार के निर्यण दिनांक 06.06.2001 की सम्पूर्ण मूल फाईल की प्रमाणित प्रति मय सम्पूर्ण पत्रावली।
3. चक 2 डी.ओ.एल के मु0न0 134/8 की सन 2000 की प्रमाणित जमाबन्दी की प्रति।

इस पर उपजिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी उप अभिलेखागार, अनूपगढ ने अपना प्रतिवेदन सं0 74 दिनांक 10.04.17 निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:–

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि प्रंसागिक पत्र द्वारा प्रार्थी श्री सुरेन्द्र खीचड़ के प्रार्थना पत्र 10.12.2016 की प्रति इस कार्यालय को भेजकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मे वर्णित एसडीएम, अपूपगढ के आदेश कमांक एसडीओ/राजस्व/2001/1352 दिनांक 11.06.2001 की प्रमाणित प्रति व मु0न0 34/99 अनवान त्रिलोक बनाम सरकार निर्णय दिनांक 06.06.2001 की प्रमाणित प्रति चाही गई है जो बाद तलाश इस कार्यालय में उपलब्ध नही हो रही है पुनः गहनता से तलाश की जा रही है प्राप्त होने पर रिर्पोट श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दुसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार रिकार्ड उपलब्ध नही हो रहा है। इसलिए उनके द्वारा दिया गया उत्तर सही है। किन्तु रिकार्ड को सुरक्षित रखना भी पीठासीन अधिकारी का उत्तरदायित्व है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर भीतर रिकार्ड तलाश करे। यदि रिकार्ड उपलब्ध हो तो अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अन्यथा रिकार्ड उपलब्ध न हो तो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 14.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर